कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग , फतेहपुर

पत्रांक - 2846 /27-4 फतेहपुर , दिनांक 15 / 02 /2018

सेवा में,

प्रबन्धक,
रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0,
रोहतास के टेरिडेन्ट सेकेण्ड फ्लोर,
10 राणाप्रताप मार्ग, लखनऊ ।

विषय :- जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफ्रेकाम लि0 लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी 0.00 से 22.00, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी 0.00 से 36.0, चकेरी से विन्दी (मुगल रोड) किमी 0.00 से 15.50, विन्दकी से ललौली किमी (लिंक एस0एच0-46) 0.00 से 9.50 एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी0 195 से 2017 तक (कुल किमी0 95.00) के किनारे आप्टिकल फाईवर केविल बिछाने हेतु क्षेत्रफल 0.9842 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या पी -148/14-2-2017'800(153)/2017 दिनांक 12.02.2018 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2379/11-सी-FP/UP/Other/26800/2017 दिनांक 13.02.2018।

उपरोक्त संदर्भित पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा जनपद फतेहपुर में रिलायंस जियो इंफ्रेकाम लि0 लखनऊ द्वारा फतेहपुर से जोनिहा मार्ग किमी 0.00 से 22.00, जोनिहा-अमौली मार्ग किमी 0.00 से 36.0, चकेरी से बिन्दी (मुगल रोड) किमी 0.00 से 15.50, विन्दकी से ललौली किमी (लिंक एस0एच0-46) 0.00 से 9.50 एवं गंगा ब्रिज से फतेहपुर किमी0 195 से 2017 तक (कुल किमी0 95.00) के किनारे आप्टिकल फाईवर केविल बिछाने हेतु क्षेत्रफल 0.9842 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषये प्रकरण की सामान्य स्वीकृति निम्न शर्तो/प्रतिबंधों पर प्रदान की गयी है जिसकी समस्त शर्तो को पूर्ण कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नही किया जायेगा।
2. ओ0एफ0सी0 केविल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।
3. उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में कम में ओ0एफ0सी0 केविल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जजाने वाले ट्रेंच, एच0डी0डी0 तकनीकी द्वारा किया जायेगा।
4. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
5. प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरुप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।
7. प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
8. भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नही दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।

कार्यालय पता – प्रभागीय निदेशक कार्यालय, बी0आई0वी0 रोड, सिविल लाइन्स, फतेहपुर – 212601
दूरभाष /फेक्स – 05180 – 224693 ई – मेल – dfofatehpur@gmail.com

9. कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0तीव लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।

10. प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

11. प्रयोक्ता एजेन्सी के पा स वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।

12. भारत सरकार के पत्र सं,या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या 11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू हो तो (if applivable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समक्ष स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी आफ नेशनल वोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।

13. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये

14. दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षमम प्राधिकारी द्वारा प्रामाणित किये हुवे भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा फाइल में दर्शाया गया।

15. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।

16. समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

17. उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वार किया जायेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेन्स तथा इस कार्य के लिये जारी सक्षम स्तर से अनुमोदन की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(सी0पी0एस0 मलिक)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

पत्रांक 2846 / समदिनांक -

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सामाजिक वानिकी इलाहावद वृत्त इलाहावाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सी0पी0एस0 मलिक)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग
फतेहपुर

कार्यालय पता - प्रभागीय निदेशक कार्यालय, पी0आई0सी0 रोड, सिविल लाइन्स, फतेहपुर - 212601
दूरभाष /फैक्स - 05180 - 224432 ई - मेल - dfofatehpur@gmail.com